न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 33/2025 (JCMS: 2025/185)

अनवानः सुमित्रा बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी

--निर्णय-- **दिनांक : 14.05.2025**

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया। कि प्रकरण संख्या 124/2021, अनवान सुमित्रा बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट का निर्णय मय डिक्री दिनांक 19.04.2022 पारित की गई है। जिसमें सहवन से सुमित्रा पुत्री पाल सिंह पत्नी मोहन सिंह के स्थान पर सुमित्रा पुत्री पाल सिंह पत्नी निहाल सिंह अंकित हो गया है। अतः निर्णय मय डिक्री दिनांक 19.04.2022 को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय मय डिक्री दिनांक 19.04.2022 को अनुतोष मुताबिक दुरूस्त किए जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र तथा प्रकरण संख्या 124/2021, अनवान सुमित्रा बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट का निर्णय मय डिक्री दिनांक 19.04.2022 का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन-निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्व की जा सकेगी"

प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष लेखन में भूल होने से हुआ है तथा प्रकरण संख्या 124/2021, अनवान सुमित्रा बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट का निर्णय मय डिक्री दिनांक 19.04.2022 में सुमित्रा पुत्री पाल सिंह पत्नी निहाल सिंह के स्थान पर सुमित्रा पुत्री पाल सिंह पत्नी मोहन सिंह पढे जाने के आदेश दिये जाते है। संशोधित डिक्री जारी हो। आदेश प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

संशोधित अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुमित्रा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **124/2021**
निर्णय दिनांक :- 19.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व संशोधित डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 115/96 व खाता संख्या 98/97 में अंकित नाम सुमित्रा दत्तक पुत्री निहाल सिंह के स्थान पर सुमित्रा पुत्री पाल सिंह पत्नी मोहन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त दोनों खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक: 14.05.2025

क्रमांक: रीडर/ 2025/294
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)